राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग

क्रमांकः प.6(1)प्र.सु. / अनु.–3 / 2018 9473 जयपुर, दिनांकः– 22-6-2023

::आदेश::

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 की अनुपालना में राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि से सड़क सुरक्षा हितधारक विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जिला स्तर पर Road Safety Task Force का गठन निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. जिला सडक सुरक्षा टास्क फोर्स के सदस्यः–

क्र.	पदनाम / विभाग	
i.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
ii.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
iii.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	सदस्य
iv.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं	सदस्य
v.	जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त	सदस्य
vi.	अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
vii.	जिला मुख्यालय के विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास के सचिव	सदस्य
viii.	अधिशाषी अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
ix.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
x.	जिले के मुख्यालय पर स्थित जिला अस्पताल के अधीक्षक / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
xi.	परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई	सदस्य
xii.	आईरेड / ई–डार प्रतिनिधि, एन.आई.सी	सदस्य
xiii.	सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संस्था के प्रोफेशनल / विशेषज्ञ प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
xiv.	दो सड़क सुरक्षा सलाहकार / विशेषज्ञ	विशेष आमंत्रित
xv.	जिला / प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग	सदस्य सचिव

नोटः– जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स) आवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की बैठक में किसी भी संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित करेंगे तथा टॉस्क फोर्स से संबंधित कार्यों हेतु निर्देशित कर सकेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Munni Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2023.06.20 16:37:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4073205

2. <u>जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के दायित्व</u>

i. जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होनी वाली मृत्युदर में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत सुनियोजित रूप से प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

ii. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में करा कर निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित कराते हुये उनका नियमित पर्यवेक्षण/समीक्षा।

iii. जिले में घटित गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का अर्न्तविभागीय संयुक्त टीम द्वारा समयबद्ध निरीक्षण करा कर आवश्यकतानुसार दुरूस्तीकरण/प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

iv. जिले में स्थित राजमार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की संयुक्त टीम द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट करा कर ऑडिट अनुशंसाओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित कराना।

v. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना प्राथमिकता से कराना।

vi. समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से प्राप्त राशि का समयबद्ध रूप से समुचित उपयोग तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर भिजवाना सुनिश्चित करना।

vii. राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराना।

viii. महाविद्यालयों/विद्यालयों, पेट्रोल पंपों/ग्राम पंचायतों इत्यादि में वर्ष पर्यन्त नियमित रूप से जन–जागरूकता अभियान आयोजित कराना।

ix. वर्ष पर्यन्त नियमित विशेष/संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाना तथा इसमें आवश्यक Electronic Enforcement Equipment का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कराना।

x. सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के iRAD App के माध्यम से विश्लेषण के आधार पर सुनियोजित कार्य योजना के अन्तर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों, पुलिस थाना क्षेत्रों, राजमार्गों एवं अन्य दुर्घटना संभावित सड़कों पर नियमित रूप से प्रवर्तन कार्यवाही।

xi. राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना।

xii. सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यकतानुसार अन्य गतिविधियां सुनिश्चित कराना।

Signature valid

Digitally signed by Munni Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2023.06.20 16:37:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4073205

3. जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स में निहित शक्तियां

i. अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पेक्ट असेस्मेंट, फील्ड सर्वे, अध्ययन इत्यादि कार्यों हेतु प्रतिष्ठित केन्द्र/राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों यथा आई.आई.टी., एन.आई.टी. एवं अन्य महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु समन्वय स्थापित करना।

ii. सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण के लिये सड़क सुरक्षा सलाहकार की सेवाएं लिया जाना।

4. <u>हितधारकों हेतु निर्देश</u>

i. जिला स्तर पर कार्यरत समस्त हितधारक विभागों (उपरोक्त सूचीबद्ध) के अधिकारी जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स को समयबद्ध रूप से सूचना उपलब्ध कराने एवं निर्देशों की क्रियान्विति हेतु बाध्य होंगे।

ii. सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्मिक जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के सड़क सुरक्षा संबंधी दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

5. <u>मनोनयन</u>

जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के क. सं. 1 (xiv) एवं (xv) पर अंकित सदस्यों का मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा 1 वर्ष के लिये किया जाएगा।

6. <u>कार्यकाल एवं बैठकें</u>

जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल गठन दिनांक से तीन वर्षों के लिये रहेगा। टास्क फोर्स की बैठक प्रति तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

7. **<u>प्रशासनिक विभाग</u>**

उक्त जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Munni Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2023.06.20 16:37:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4073205

9474- 94 22-6-2023

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
17. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी एन.एच.ए.आई., राजस्थान, जयपुर।
18. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. समस्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी एवं सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स को सूचनार्थ एवं जिला स्तरीय समस्त नामित सदस्यों को सूचित करने हेतु प्रेषित है।
20. शासन उप सचिव (मु.) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
21. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Munni Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2023.06.20 16:37:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4073205